



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2011/अग्रहायण 23, 1933

No. 668]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2011/AGRAHAYANA 23, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 880(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 14 में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात् :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में, "II संयंत्र और मशीनरी" शीर्षक के अधीन, विशेष दर से संबंधित मद (ii) के अधीन उप-मद ख.7 में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची 14

अवक्षय की दरें

आस्तियों का नाम	एकल पारी		दोहरी पारी		तिहरी पारी	
	अ. भू.	स. रे. प.	अ. भू.	स. रे. प.	अ. भू.	स. रे. प.
1	2	3	4	5	6	7
"7. खनिज तेल से संबंधित क्षेत्र प्रचालन (भूमि के ऊपर)	30	11.31	—	—	—	—
सुवाहय बायलर, वेधन औजार, कूप शीर्षक टैंक आदि । (अ.पा.अ.न.)	प्रतिशत	प्रतिशत				
7क. रिम्स (अ.पा.अ.न.)	10	3.34	—	—	—	—
	प्रतिशत	प्रतिशत				

[फा. सं. 2/6/2008-सीएल-5]

यू. सी. नाहटा, निदेशक (निरीक्षण और अन्वेषण)

टिप्पण : मूल अनुसूची कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अधीन अंतःस्थापित की गई थी और निम्नलिखित के द्वारा पश्चात्पूर्ति संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. सं. 416(अ), तारीख 14-5-1993;
2. सा.का.नि. सं. 756(अ), तारीख 16-12-1993;
3. सा.का.नि. सं. 788(अ), तारीख 4-11-1994;
4. सा.का.नि. सं. 101(अ), तारीख 1-3-1995;
5. सा.का.नि. सं. 500(अ), तारीख 18-8-1998।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2011

G.S.R. 880(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following alterations in the Schedule XIV of the said Act namely :—

In Schedule XIV to the Companies Act, 1956, under the heading "II PLANT AND MACHINERY", under item (ii) relating to special rates, in sub-item B.7, for the entries, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

SCHEDULE XIV

Rates of depreciation

Name of assets	Single Shift		Double Shift		Triple Shift	
	W.D.V.	S.L.M.	W.D.V.	S.L.M.	W.D.V.	S.L.M.
1	2	3	4	5	6	7
"7. Mineral oil Concerns						
Field operations (above ground) Portable boilers, drilling tools, well-head tanks, etc. (NFSD)	30 per cent	11.31 per cent	—	—	—	—
7A. Rigs (NFSD)	10 per cent	3.34 per cent.	—	—	—	—

[L. No. 2/6/2008 CL.-V]

U. C. NAHTA, Director (Inspection & Investigation)

Note : The Principal Schedule was inserted by the Companies Amendment Act, 1988 and subsequently amended by the following notifications, namely :—

- (i) GSR 416(E), dated 14-5-1993;
- (ii) GSR 756(E), dated 16-12-1993;
- (iii) GSR 788(E), dated 4-11-1994;
- (iv) GSR 101(E), dated 1-3-1995;
- (v) GSR 500(E), dated 18-8-1998.